मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

(574, साउथ सिविल लाईन्स)

क0 फा0न0 41 /स्था0/राविसेप्रा0/988/11 जबलपुर, दिनांक 4/11 /2011

विज्ञप्ति

भारी/हल्का वाहन चालक के, पूर्णतः अस्थायी, एक पद पर, संविदा एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक/दर के आधार पर, दो वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, संलग्न निर्धारित प्रपत्र मे, **निम्नलिखित शर्तो पर,** आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **22/11/2011 सायं 5.30 बजे तक है।** निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनो पर कोई विचार/पत्राचार नही किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो मे से निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करने वाले अभ्यार्थियो की सूची के एवं साक्षात्कार की तिथि प्रथक से राज्य प्राधिकरण की बैबसाईट **www.mpslsa.nic.in** पर प्रकाशित की जा कर योग्य अभ्यार्थियो को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा :–

पद की शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य अर्हता तथा अन्य शर्ते

1– वाहन चालक का पद पूर्णरूप से अस्थायी होकर संविदा एवं कलेक्टर द्वारा समय–समय पर निर्धारित पारिश्रमिक के आधार पर होगा ।

2– नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी होकर दो वर्ष की अवधि के लिये होगी ।

3– आवेदक की आयु आवेदन करने की दिनांक को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये

4– आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए ।

5– अभ्यार्थी को आवेदन करने की दिनांक को कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

6– वाहन चालक का पद एकांगी होने से रोस्टर प्रणाली लागू नही होगी ।

7– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय होगी ।

8– वाहन चालक के पद के लिये केवल पुरूष अभ्यार्थी ही आवेदन करने के पात्र होगें ।

9– अभ्यार्थी भारी मोटर वाहन एवं हल्का मोटर वाहन चालन का लायसेंसधारी होना आवश्यक है। वाहन चलाने के अनुभवी अभ्यार्थी को उसके अनुभव के अनुसार प्राथमिक्ता दी जायेगी।

10– संविदा एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर के आधार पर वाहन चालक के पद पर नियुक्त होने वाले योग्य अभ्यार्थी को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार यात्रा भत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता देय नही होगा ।

11– कर्तव्य से अनुपस्थिति अवधि का पारिश्रमिक/वेतन देय नही होगा ।

12– अभ्यार्थी को मध्यप्रदेश शासन के कार्यभारित/आकस्मिकता कर्मचारी नियम के अनुसार आकस्मिक/साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगी जो कार्यालय प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी की स्वीकृति के आधार पर ही देय होगा ।

13– संविदा कर्मचारी, उसकी संविदात्मक कालावधि के लिये किन्ही पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं का हकदार नही होगा ।

14– संविदा कर्मचारी, शासकीय सेवा में नियमितिकरण के लिये हकदार नही होगा ।

15– संविदा कर्मचारी की नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस अथवा वेतन देकर समाप्त की जा सकती हैं तथा कर्मचारी स्वयं भी एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर सेवा से त्याग पत्र दे सकता है ।

16– वाहन चालक के पद पर नियुक्ति साक्षात्कार के आधार पर योग्य अभ्यार्थी में से की जावेगी । जिसके लिये कोई शुल्क निर्धारित नही किया गया है तथा साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि किसी वर्ग के अभ्यार्थी को देय नही होगा ।

17– वाहन चालक का पद स्थानान्तरणिय है। नियुक्त अभ्यार्थी का प्रशासकीय आधार पर मध्यप्रदेश के किसी भी जिले मे स्थानान्तर किया जा सकेगा।

सदस्य सचिव

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
574, साउथ सिविल लाइन्स,
जबलपुर (म0प्र0) – 482001

विषयः– संविदा एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर के आधार पर वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन।

सन्दर्भः– म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विज्ञप्ति दिनांक ....

पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा कर स्वयं के द्वारा संत्यापित करे

01– आवेदक का पूरा पता ....

02– पिता का नाम ....

03– वर्तमान निवास का पूर्ण पता ....

04– स्थाई निवास का पूरा

05– मूल निवास स्थान ....

06– जाति एवं वर्ग ....
(स्थाई / अस्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

07– संपर्क हेतु सेलफोन नं0 या लैण्डलाईन फोन नं0 ....

08– जन्मतिथि ....

09– वर्तमान आयु ....

10– शैक्षणिक योग्यता

11– वाहन चालन का अनुभव

अ– भारी वाहन (एच.एम.व्ही) ....

ब– हल्का वाहन (एल. एम.व्ही) ....

10– अन्य योग्यता / अनुभव ....

....

आवेदक के हस्ताक्षर ....
आवेदक का पूर्ण नाम (..)